### विधान सभा मामला

ई0डी0एन0-ए0-क (03)8/2024 हिमाचल प्रदेश सरकार उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रेषित

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधानसभा,

शिमला-171004 ।

दिनांक

शिमला-02

सितम्बर, 2024

विषय:

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

प्रस्तुतिकरण।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 14) विधानसभा के चालू अधिवेशन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

विधेयक की तीन अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न है। विधेयक को अपनी सुविधानुसार इसी विधान सभा सत्र में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय, २) हित्र ७ कि. (रोहित ठाकुर) शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश सरकार।

पष्टांकन संख्याः यथोपरि

दिनांक शिमला-171002

सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. संयुक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2।

2. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।

3. रक्षक नस्ति।

अवर सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार। ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में )

## ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

### खण्डों का क्रम

### खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम।
- 2. धारा ३८ का संशोधन।
- 3. धारा ३९ का संशोधन।

### ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना संक्षिप्त नाम। और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2024 है।
- 5 2. ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 धारा 38 का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 38 की उप—धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

10

- "(2) उप—धारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट विनियामक आयोग और सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। सरकार ऐसी रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष ररववाएगी।"।
- 3. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप—धारा (4) के अन्त में, धारा 39 का संशोधन।

" सरकार ऐसे लेखों और तुलनपत्र को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।" शब्द और चिन्ह जोडे जाएंगे।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः 16 प्राइवेट विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार स्थापित किए गए हैं। राज्य में स्थापित सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण निर्धारण वर्ष के लिए वित्तीय और अन्य सहबद्घ क्रियाकलापों के परीक्षण और पर्यवेक्षण से सम्बन्धित उपबंध हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदन के समक्ष सहबद्घ प्राइवेट विश्वविद्यालयों की अपनी—अपनी वार्षिक रिपोर्ट / वार्षिक लेखे रखे जाने का कोई भी उपबन्ध नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश विधान सभा की अधीनस्थ विधायी समिति ने सम्बन्धित प्राइवेट विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के सुसंगत उपबन्धों का संशोधन करने की सिफारिश की है।

ईटरनल विश्वविद्यालय की स्थापना ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित कर की गई थी। अतः अधीनस्थ विधायी समिति की उक्त सिफारिशों के दृष्टिगत जो स्पष्ट रूप से उक्त विश्वविद्यालय के वित्तीय और सम्बद्ध क्रियाकलापों पर पर्यवेक्षण और पारदर्शिता लाने के लक्ष्य के लिए है, प्रस्तावित विधेयक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम की धारा 38 और 39 का संशोधन करने के लिए है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

रोहित ठाकुर) प्रभारी मंत्री।

शिमला:

तारीख : ...... 2024

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन -शून्य-

## ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(रोहित ठाकुर) प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल) सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीखः ...... 2024

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्माव्य प्रभावित होने वाले ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) के उपबन्धों के उद्धरण। धाराएं:—

- 38. वार्षिक रिपोर्ट.—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम सम्मिलित होंगे और वह शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा इसकी प्रति प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) उप—धारा (1) के अधीन तैयार की गईं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।
- 39. वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा.—(1) विश्वविद्यालय के तुलन—पत्र सहित, वार्षिक लेखे, प्रबंध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षित किए जाएंगे।
  - (2) लेखां परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्शिक लेखे की एक प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) शासी निकाय के संप्रेक्षणों सहित वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) उप—धारा (1) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखों और तुलनपत्र की प्रतियां, विनियामक आयोग और सरकार को भी प्रस्तुत की जाएंगी।
- (5) विश्वविद्यालय के लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट से उद्भूत विनियामक आयोग और सरकार का परामर्श, यदि कोई हो, शासी निकाय के समक्ष रखी जाएगी और शासी निकाय ऐसे निदेश जारी करेगा, जैसे वह उचित समझे तथा उसकी अनुपालना के बारे में सरकार को रिपोर्ट की जाएगी ।

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 8 OF 2024

THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

## THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

### ARRANGEMENT OF CLAUSES

### Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 38.
- 3. Amendment of section 39.

# THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

### A

#### BILL

further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Eternal University (Establishment Short title. and Regulation) Amendment Act, 2024.
- 2. In section 38 of the Eternal University (Establishment and Regulation Act, 2008 (hereinafter referred to as the "principal Act") for subsection (2), the following shall be substituted, namely:—

5

10

- "(2) Copies of annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government. The Government shall cause such report to be laid before the Legislative Assembly.".
- 3. In section 39 of the principal Act, in sub-section (4), at the end, Amendment the words and sign "The Government shall cause such accounts and balance sheet to be laid before the Legislative Assembly." shall be added.

## THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).

> (ROHIT THAKUR) Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)

Secretary (Law).

SHIMLA:

THE.....2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2008 (ACT NO. 3 OF 2009) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

### Sections:-

- **38. Annual report.**—(1) The annual report of the University shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects and shall be approved by the Governing Body and copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.
- (2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Regulatory Commission and the Government.
- 39. Annual accounts and audit.—(1) The annual accounts including balance sheet of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once in every year by the auditors appointed by the University for this purpose.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted to the Governing Body.
- (3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations of the Governing Body shall be submitted to the sponsoring body.
- (4) Copies of annual accounts and balance sheet prepared under sub-section (1) shall be presented to the Regulatory Commission and the Government.
- (5) The advice of the Regulatory Commission and the Government, if any, arising out of the accounts and audit report of the University shall be placed before the Governing Body and the Governing Body shall issue such directions, as it may deem fit and compliance thereof shall be reported to the Regulatory Commission and the Government.

Higher and Elementary Eduk Minister, Himachal Pradesh